15/09/25

पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकारान उपा। उन्हें सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है। ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमेंबाजी नहीं बढ़े व कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.11.2022 को ताफैसला मूल वाद पुष्ट किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, तथा संलग्न मूल वाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०